महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

संख्या– 1910 / अड़तीस–5–2013–32सम / 2012

प्रेषक,

राकेश कुमार ओझा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव / सचिव,
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल / भूमि विकास एवं जल संसाधन /
कृषि / सिंचाई / वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनॉक 12–जुलाई, 2013

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत सस्टेनविलिटी मद में मात्राकृत धनराशि से वाटर रिचार्जिग की योजनाओं को कियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत सस्टेनविलिटी मद से कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रकिया के निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश संख्या–1718 / अड़तीस–5–2013–32 सम / 3013 दिनांक 08 जुलाई, 2013 (प्रति संलग्न) जारी किया गया है, जिसमें लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की नीति विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या–280 / 62–1–2013–7 डब्लू पी–2004 टी0सी0–।।।, दिनांक 18 फरवरी, 2013 में उल्लिखित कार्यदायी संस्थाओं से कतिपय शर्तो के अधीन कार्य कराये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

2– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के सस्टेनविलिटी घटक से ग्रामीण पेयजल योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में वाटर सिक्योरिटी एवं सस्टेनविलिटी का कार्य कराया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अद्यतन दिशा–निर्देशों में सस्टेनविलिटी मद से कराये जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये हैं, जिसके सुसंगत उद्धरण की प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। ग्राम्य विकास विभाग के पास प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल रिचार्ज हेतु क्रिटिकल, सेमीक्रिटिकल, डार्क एवं अतिदोहित क्षेत्रों में सुसंगत कार्यो हेतु सस्टेनविलिटी मद के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध है।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08.07.2013 एवं उसमें उल्लिखित लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की नीति विषयक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 फरवरी, 2013 में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत सस्टेनविलिटी मद से कराये जाने वाले कार्यो की परियोजना / प्रस्ताव ग्राम्य विकास विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
सचिव ।

संख्याः 1910 (1) / अड़तीस–5–2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, भूगर्भ जल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, प्रोजेक्ट कार्पो0 लि0, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
अनु सचिव।